

# कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, गढ़वाल वन प्रभाग, पौड़ी।

Email:-dfo\_pauri\_uta@yahoo.co.in ,

Fax no:-01368-222215

पत्रांक:- 2545 / 12-1 : दिनांक: पौड़ी, माह, मार्च, 20. 2020

सेवा में,

वन संरक्षक,  
गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड, पौड़ी।

प्रस्ताव सं०- FP/UK/ OFC/43781/2020

विषय- जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत ओ०एफ०सी० लैन्सडौन-धुमाकोट में एन०एच० 309 मार्ग (हल्दूखाल-धुमाकोट) धुमाकोट-रिखणीखाल मोटर मार्ग के किनारे ओ०एफ०सी० बिछाने हेतु वन भूमि प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक कम में लगाई गई आपत्ति के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि ओ०एफ०सी० लैन्सडौन-धुमाकोट में एन०एच० 309 मार्ग (हल्दूखाल-धुमाकोट) धुमाकोट-रिखणीखाल जो मोटर मार्ग के रूप में विद्यमान हैं, उक्त मोटर मार्गों से वाहनों की आवाजाही होती है। उक्त मोटर मार्गों का निर्माण कार्य वन संरक्षण अधिनियम-1980 से पूर्व किया गया है। प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरित वन भूमि के कोरीडोर के अन्दर ही ओ०एफ०सी० केबिल बिछाई जानी प्रस्तावित है।

अतः अनुरोध है कि प्रस्ताव को अपने स्तर से ऑन लाईन कर उच्च स्तर को प्रेषित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(सन्तराम)

प्रभागीय वनाधिकारी,

गढ़वाल वन प्रभाग, पौड़ी।